

असाधारण EXTRAORDINARY

मं 20] नई विल्लो, बुधवार, जनवरी 18, 1984/पौध 28, 1905 No. 20] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 18, 1984/PAUSA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में

रखा जासको

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate

compliation

वित्त मंत्रालय

(राजस्थ विभाग) (विदेगी कर प्रभाग) अधिसचनः

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1984

आय-कर

सा० का० नि० ३९(अ).---भारत गणराज्य को सरकार और जास्विया गणराज्य की सरकार के बीच, बोहरे कराधान के परिवर्तन करने के लिए और आय पर करों की बाबत राज विणीय, अपवंचन के निवारण के लिए एक कर्म्येगन हुआ है;

और भारत और जांस्विया में वे सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गई है जो उक्त कर्खेंगन को अमणः भारत और जास्थिया में विधि का बल देने के लिए आवश्यक हैं, और जो उक्न कर्न्वेंगन के अनुच्छेद 29 के पैरा 1 द्वारा अपेक्षित है।;

और उक्त दोनों सरकारों के बीच इम आभय के राजनयिक प्रपन्नों का आवान प्रदान हुआ है, जो उक्त करार के अनुच्छेद 29 के पैरा 2 द्वारा अपेक्षित है:

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24 क द्वारा प्रक्षन गक्नियों का प्रयोग करने हुए, यह निदेश देती है कि उक्त कन्वेंशन के सभी उपबंधों को भारत संच में प्रभावी किया जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

जॉन्बिया गणराज्य की सरकार

के बीच

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के

परितार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और

जाम्बिया गणराज्य को सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय संपन्न करने की इच्छा से.

नीचे लिखी बातों पर सहमत हुई हैं:

भध्याय-1]

अभिसमय का क्षेत्र

अनुच्छेद-1

वैयक्तिक क्षेत्र विस्तार

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में गे किर्मा एक अथवा धोनों के निवासी हैं।

মনুৰ্ন্তব-2

अभिसमय के अंतर्गत आने वाले कर

- जिस करों पर मह अभिसमय लागृ होगा के इस प्रकार हैं: (क) जारत के मामले में:
 - (i) आयकर अधिभिवम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गेन जगामा जाने वाला आयकर जिसमें उस पर लगाया आने बाला प्रत्येक अधिभार भी णामिल है; और
 - (ii) कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1984 (1964 का 7) के अंतगैत झगाया जाने वाला अतिकर) (जिनका इसके बाद "भारतीय कर" के रूप में उल्लेख किया जाएगा)
 - (ए) आंबिया के मामने में 🏅
 - (i) आयकर
 - (ii) चनित्र कर और
 - (iii) वैयमितक उनाहीं।

(जिलका इसके बाद 'लांबिंगा के कर' के रूप में उल्लेख किया जाएगाः) ।

2. यह अधिसमय किमी समय कप जयवा सारतः इसी मण्डु के उम करों वर भी लागू होगा जो वर्तमान अधिसमय पर हस्ताक्षर होने की सारीक के पक्ष्याल इस अनुक्छेद के 'पैरा-1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अवना उनके स्थान वर दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा लगाये आने हो।

3. प्रत्येक वर्ष के अस्त में, संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, उनके सपने अपने कराधान कानूनों मैं जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हो अभिममय के विवय हैं उनके संबंध में एक दूसरे को ते और संगत अधिनियमों और विनियमों की प्रतियां भेजेंगे।

अध्माग-II

परिभाषाएं]

সনুস্ঠাব 3

स.मान्य परिभाषाएं

ामय में, जब तक संदर्भ में अन्यचा अपेक्षित न हो : 👘

5 संबिदाकारी राज्य' और 'दूसरे संविदाकारी राज्य' पधबंध संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, मारत अचवा जाग्विया जमिप्रैन

- (ब) 'कर' झब्द से संवर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अववा जांधिया का कर अभिप्रेन है, परन्तु इसमें ऐसी कोई राशि गामिल नही होगी जो उन करों के संबंध में किसी खुक अधवा भूस के संबंधी में लगाए गए अर्घवण्ड का प्रतिनिधित्व करती हो।
- (ज) 'म्याकन' जम्द में व्याध्टियां, कंपनी और ऐसी सभी अन्य इकाइयां सम्मिलित हैं, जो अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में लाग कराधान कानूनों के अंतर्गत कर लगने मोग्य इकाइमां मानी ज.सी हैं;
- (६) 'कंपनी' शब्द से कोई ऐसा निमित निकाय अभवा कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो अलग-अलग संविदाकारी राज्य में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में मानी जाती है;
- (क) 'एक संविधाकारी राज्य का उग्रमय' तथा 'दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यमय पदवंध कमशः संविदाकारी राज्य के किसी नियाठी द्वारा संचलित उद्यमय और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उद्यमय अभिप्रेत है;

- (व) घारत के मामले में सक्षम प्राधिकारी पदबंध से अभिप्रेत है केक्ट्रीय मरकार का विश्व संतालय (राजस्व विभाग) और जोविया के मामले में कर आयुक्त जवबा उपका प्राधिकृत प्रतिनिधिः;
- (ण) 'राष्ट्रिक' वद से अभिप्राय है;
 - (i) भाग्त के संबंध में,

सभी व्यक्ति जो भारम को राष्ट्रीयता धारण किए हुए हों और एसे सभी विधिक व्यक्ति, सहमागी और संगठन जो अपनी क्रैमियन भारत में लागू कामून से प्राप्त करते हों;

(ii) जीविथा के संबंध में :

सभी व्यक्ति जो जोविया को राव्हीयता धारण किए हुए हों और ऐसे सभी विधिक व्यक्ति, सहभागी और संगठन जो इस प्रकार अपनी हैसियत जोवियां में लागू कानून से प्राप्त करते हों।

2. किसी इक संविक्तकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के उपबंधों के प्रवर्तन में, किसी भी पद का जो यहां अन्यभापरिभाषित नहीं हो, संदर्भ की जन्मना अपेक्सा होने पर, बही अर्थ होगा जो उस राज्य में लागू कर कानूनों के अतगैत होता हो जो इस अभिममय के विषय हैं।

মনুষ্ঠব - 4

সাৰিক মঘিৰার

 इस अधिसमय के ब्रवोजनों के लिए 'किसी मंतिवाकारी राज्य का निवासी' पदबंध से अभिवेत है ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कामून के अन्तर्गत उसके अधिवास, लिवास, प्रवन्ध के स्वान अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य मालवण्ड के कारण वहां पर कर अगने योग्य हूँ।

2. जहां पैराघाफ---- के उपबन्धों के कारण, कोई व्यष्टि दोनों संविधाकारी राज्यों का निवासी हो तो घस स्थिति में इस अभिसमम के प्रयोजनों के लिए उसके निवास की हैसियत निम्नलिखित निममों के अनुसार निषित्रत की जाएगी:

- (क) बहु उस संविधाणांगी रक्ष्य का निवासी माला जाएगा जहां उसका स्थाई लिवास-गृह हो तो वह उस संविदाकारी राज्यों में स्थाई लिवास-गृह हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का सिवासी माला जाएगा जिस राज्य के सत्थ उसके व्यक्तिगत और शायिक संबंध वनिष्धस्तर ई(जिसका उस्लेख इसके वाद उसके 'महरवपूर्ण हितां के लेल्द्र' के रूप में किया जाएगा।
- (ध) अगर उस संविधाकारी राज्य का जो उसके महत्यपूर्ण हितों का केन्द्र है, उसका निर्णय न किया था सकता हो अथवा उसका किसी भी संविवाकारी राज्य में स्थायी निवास-नृष्ट् हो नही हो तो बहु उस संविदाकारी राज्य का निवासी मांसा आएगा जहां बहु साधारणतमा रहता है;
- (ग) यदि उसका स्थावहारिक आवास संविधाकारी दोनों राज्यों में है अथवा ६नमें से किसी भी राज्य में नहीं है,तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह् राष्ट्रिक है;
- (ध) माँद बह संविधाकारी दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उन में से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविधाकानी राज्यों के सक्षम प्राधिकानी पारस्परिक महमति ढारा इस प्रक्षन का निर्णय करेंगे !

3. जहां व्यक्टि से भिन्न कोई व्यक्ति, पैराग्राफ-1 के अनुबन्धों के कारण संविदाकारी दोमों राज्यों का निवासी हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका वास्सविक प्रवन्त्र-स्वान स्वित है।

3

भनु**ज्ले**व---- 5 स्थायी स्थापन

 इस अभिसमध के प्रयोजन के लिए, 'स्वायी स्वापन' पदवंध से कारोबार का बह निश्चिम स्थान अभिप्रेत है, जिसमें उखन का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंग्रतः चलाया जाता है।

- 'स्यायी स्थापन' पदवन्ध में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:
- (क) प्रबन्ध का स्थान;
- (অ) সামা;
- (ग) कार्यालय:
- (म) कारबाना;
- · (क) कार्यणाला;
- (च) स्वान, अवदान, तेत्र-क्षेत्र अथव। प्राक्कत्तिक साधनों के निष्कर्पण +हा अस्य स्थान;
- (छ) फार्म, बागल अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, बनविज्ञान, बाग-बानी अथवा तत्सम्बन्धी कार्य किए जाते हैं;
- (ज) भवन स्थल अथवा निर्माण अथवा संयोजना परियोजना अववा उनसे सम्बन्धित पर्यवेक्षी कार्य, जहुए इस प्रकार का स्थल, परियोजना पर्यवेक्षी कार्य 9 मास से अधिक की अवधि के लिए जालू रहते हों;
- (स) जिस उद्यम से आर्धरों की पूर्ति की खाती है उसके मास अयवा पथ्यों के भण्डार के रखरखाव के लिए गोव,म अथवा अन्य मुविधाएं।

 - 3. 'स्वाई स्थापन' पदवश्व में निम्नीनिवित को कार्मिस मही माना जाएगा:

- (क) उक्तम के भाल अथवा पण्यों के कैवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख्र) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल भण्डारण अधवा प्रवर्णन के प्रयोजनार्थ स्टाक रखना;
- (ग) अन्य उधम द्वार। केवल संसाधित करने के प्रयोजनार्थ उभ्रम के माल अथवा पर्थ्यों का स्टाक रखना;
- (क) उद्यम के लिए मास अथवा पण्यों का केवल कय भरने अववा सूचना संग्रह के प्रयोजनार्थ का रोबार का लियत स्थान रबना;
- (ङ) उद्यम के व्यापार अववा कारोवार में कैवल विज्ञापन देने, सूचना देने, अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के प्रयोजनावं, जो अनन्य रूप से प्रारम्शिक अयवा सहायक किस्म के कार्य हों, के लिए कारोबार का नियस स्थाम रवाना।

4. अन्य संविदाकारी राज्य के उद्यम के लिए अवना उद्यम को ओर से किसी संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति— ओ स्वसंत्र द्वैसियस से अभिकर्ता से भिन्न हो और जिम पर पैराग्राफ--6 लागू होता हो—-प्रवमोक्त राज्य में उस उद्यम की ख्यायी स्थापन माला आएगा, यदि:

- (i) वह उस राज्य में उस उद्यम के लिए अथवा उद्यम की ओर से सर्विदा करने का प्राधिकार रखना है और उसका साधारणतः प्रयोग करता है, जब तक उसके किया कलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों के कय तक ही सीमिस न' हो अथवा
- (ii) उसके पास ऐसा कोई प्राधिकार नही है परन्तु बह प्रथमोक्त संविधा-कारी राज्य में उस उद्यम के माल अथवा पथ्यों का ऐसा स्टाक साधा-रणतः रबता है, जिसमें से बहु उस उछम की क्षोर से नियमित रूप के माल अथवा पज्यों की पहुंचाता है।

5. किसी संविदाकारी राज्य का कोई बीमा उद्यम केवल पुनः बीमा संबंधों कारोबार को छोड्कर , अन्य संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में स्थाई स्थापना माना जाएगा जब वह किसी कर्मचारी के द्वारा अथवा किसी ऐसे प्रतिनिधि के दारा जो पैरायाफ - 6 के अन्तर्गत स्वतन्त्र हैसियत का एजेंट नहीं हो, उस अन्य राज्य की सीमा में बीमा किस्त वसूल करता हो अथवा उसमें स्थित जोखिम का बीमा करता हो।

6. किसी संविद्याकारी राज्य का उडम किसी दूसरे संविदाकारी राज्य में मात इस कारण से स्थाई स्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतन्त्र हैसियत वाले किसी अन्य एजट के माध्यम से कारोवार करता है, जहां ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामाग्य रूप से कर रहे हों। किन्तु जब इस प्रकार के एजेंट के कार्यालय उस उद्यम की जोर से पूर्णरूप से अयवा लगभग पूर्णरूप से किए जाते हैं तो उसे इस पैराग्राफ के अर्थ के अर्फ्यांत स्वतंत्र हैसियन का एजेंट नहीं माना जाएगा।

7. इस सम्प से कि कोई कम्पनी, जो संविधकारी राज्यों में ले एक की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है अयवा उसके द्वारा नियंतित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अपवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (वाहे किसी स्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार चलातो है, उन दोनों कम्पनियों में से कोई घी कम्पनी स्वतः उन दूसरी कम्पनी का स्थायी स्थापन नहीं वम जाएगी।

8. एक संविदाकारी राज्य के उधम का अन्य संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में स्थायी स्थापन माना जाएगा जहा वह कोई ऐसा कारोबार करता तो जिसमें उस अन्य संविदाकारी राज्य में लोक-मनोरंजनकर्ताओं (जैसे कि थियटर, चल-चित्र, रेडियो अयथा दूरदर्शन कल-कार और संगीतकार) अयवा खिलाड़ियों की सेवाओं की व्यवस्था करन: शामिल हो, जब तक कि ऐसे उद्यम को प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में, इस प्रकार कौ सेवाओं की व्यवस्था करने के संबंध में प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य की सरकार की लोक-निधियों से पूर्णनः अथवा पर्याप्ततः सहायना नहीं प्राप्त होती हो ।

मध्याय-III

आंधे का कराधान

অনুস্তার-6

अचल सम्परित से आय

1 ग्राचल सम्पत्ति से ग्राय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिस में ऐसी सम्पत्ति स्थित हो।

3. ⁰राग्राफ-1 के उपबंध, भचल संपत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग, किराये पर देने मथवा किसी मन्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली भाव पर लाग् होंगे।

4. पैराग्राफ-1 ग्रीर 3 के उपबंध किसी उद्यम की धवल संपत्ति से द्वोने बाली घाव भीर व्यावसायिक लेवामों के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अज्जल संपत्ति से होने बाली भाग पर भी लागू होंगे।

सनुषछेर-७

कारोबार से लाभ

 एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में ही काराधेय होंगे, जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में बहां स्थित स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोवार न चलाता हों। यदि उद्यम धूर्वोक्त प्रकार से कारोबार में लगा हुआ है, तो उद्यम के साफों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु केवल उतने ही लाभों पर जो उस स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकते हैं।

2. यदि किसी संविदाकारी राज्य का उद्यम, जिसका अन्य संविदाकारी राज्य में स्थायी स्थापन है, समरूप अथवा उसी प्रकार का माल प्रथवा पण्य बेखता है जैसे कि स्थायी स्थापन द्वारा बेचे जाते हैं, अथवा समरूप या उसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जैसी कि स्थायी स्थापन द्वारा प्रधान की जाती है, सो इस प्रकार के किया-कलापों से प्राप्त लाभों को स्थायी स्थापन के कारण हुए माना जा सकता है, जब तक कि उद्यम यह सिद्ध न कर दे कि इस प्रकार का विक्रय अथवा सेवाएं स्थायी स्थापन के कियाकलाप के कारण नहीं हुई हैं।

3. जहां एक संविदाकारी राज्य का नोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में, धहां स्थित किसी स्यायी स्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, धहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी स्थापन के कारण उसको उम लाभों का होना माना जाएगा, जिनके प्राप्त होने की तब प्रपेक्षा रहती है जब यह उन्हीं प्रथवा वैसी ही परिस्थिति के धधीन, उन्हीं प्रथवा वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित तथा प्रलग उद्यम होता घौर जिस उद्यम का बह स्थायी स्थापन है, उसके साथ पूर्णत स्यतंत्र भाधार पर म्थबहार करता होता। किसी भी प्रवस्था में, जहां स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभों की सही रकम निर्धारित न की जा सकती हो प्रथवा उसको निर्धारित करना बहुत ही कठिन हो, बहां स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लौभों का प्रनुमान उपयुक्त ग्राधार पर लगाया जा सकता है।

4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लाभों के उस के विभिन्न हिस्सों के प्रति प्रनुभाजन के ग्राधार पर, किसी स्यायी स्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को निग्चित करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ-3 की कोई भी व्यवस्या उस संविदाकारी राज्य को ऐसी यथा-कढ़ि प्रभाजन पद्धति से, कर.लगने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी; तथापि प्रपनाई गई प्रभाजन-पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणास इस प्रनुच्छेद में विहिन सिद्धान्तों के मनुसार होगा।

5. किसी स्थायी स्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्ययों को कटौतियां की स्थीइति दी आएगी, जो स्थायी स्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए ही, मौर उनमें इस प्रकार किए गए कार्यपालीय तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी स्थापन स्थित है ग्रयवा मन्यत किए गए हों परन्तु इसमें ऐसा कोई खर्च शामिल नहीं है, जो उस राज्य के कानन के मंतर्गत, उस राज्य के किसी उद्यम द्वारा कटौती करने के लिए जिसकी प्रनुमनि नहीं हो।

6. कोई लॉभ केवल इस कारण स्थायी स्थापन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस स्थायी स्थापन ने, उस उद्यम को निर्यात करने के प्रयोजन से माल प्रयवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं जिस उद्यम का बह स्थायी स्थापन है।

7. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी स्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को तब सक उसी पढाति से वर्षानुवर्य निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्स सथा पर्याप्त कारण म ही। 8. 'नारोबार से लाभ' पदबंध से किसी उद्यम द्वारा स्थापार ध्रववा कारोबार करने से प्राप्त होने वाली प्राप्त प्रभिष्ठेत हैं; किन्तु इसमें किराये, रायल्टियां (जिनमें दूरदर्शन के लिए सिनेमाटोग्राफिक किल्में प्रथवा बीढियो टेप्स में संबंधित किराया प्रयवा रापल्टियां शामिल हैं)। तकनीकी सेवाफ्रों की फीम, प्रबंध-प्रभार, ध्रथवा तकनीकी या ग्रन्थ कार्मिक सेवाएं मुह्य्या करने के लिए पारिश्रमिक प्रथवा प्रीस, ब्याज, लाभांश, पूंजीयन लाभ, श्रमिक भथवा बैयक्षिक स्रथवा फीस, ब्याज, लाभांश, पूंजीयन लाभ, श्रमिक भथवा बैयक्षिक स्रथवा जीस, व्याज, लाभांश, पूंजीयन लाभ, श्रमिक भथवा बैयक्षिक स्रथवा जलयानों ग्रथवा वायुयान के परिचालन में प्राप्त ग्राय गारिश्रमिक हाथवा जलयानों ग्रथवा वायुयान के परिचालन में प्राप्त ग्राय गामिल नहीं है।

अनुच्छेर-8

विमानः परिषहन

 किसी संविधाकारी राज्य के उद्यम बारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान संचालन से प्राप्त लाभ केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जिसमें उद्यम के प्रभावी प्रवंध का स्थान स्थित है।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 के उपबंध, लाभां के उस ग्रंश पर भी लागू होंगे जो किसी संयुक्त विमान परिवहन संचालन व्यवस्था ग्रथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संचालन एजेंसी में एकीइटत सेवा में भाग लेने से किसी संविदा-कारी राज्य के एक उद्यम द्वारा प्रन्तर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परि-चालन से प्राप्त किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ-1 के प्रयोजन के लिए, भन्तर्राष्ट्रीय यातायाल में विमान-संचालन से सम्बद्ध निधियों पर ब्याज इस प्रकार के विमान-संचालन से ग्राय माना जाएगा और इस प्रकार के ब्याज के सम्बन्ध में भ्रनुच्छेद-II के उपबंध लागू नही होंगे।

अमुच्छेब—9

सम्बर्ध उब्यम

जहा

- (क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण सथवा पूंजी में, प्रत्यक्षतः श्रयवा श्रप्रत्यक्षत. भाग लेता है, अवया
- (ख) वे ही व्यक्ति एक संविधाकारी राज्य के किमी उद्यम ग्रौर दूसरे संविधाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण श्रयवा पूंजों में, प्रत्यक्षतः ग्राथवा भप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं,

भीर दोनों में से किसी भी अवस्था में, दोनों उष्यमों के बीस उनके बाणि।ज्यक ग्रयथा बिसीय सम्बन्धों में ऐगी शर्ते रखी ध्रथबा लगायी जाती हैं, जो वैसी शर्नों में भिन्न हैं, जैसी स्थतंत उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, बहां ऐसा कोई लाभ जो उन शर्तों के न होने की हालत में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता , परन्तु उन, शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ हो यह लाभ उम उद्यम के साभों में सम्मिलित किया जा संकंगा और ये बद्दमार कराधेय हो मकेंगे।

अनुष्छेब--10

लाभाग

 जो बंगली एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी का ग्रदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराघेय हो सकते हैं।

. तथापि, ऐमे लाभाशो पर उस सविवाकारो राज्य में भी भौर उस राज्य के कालून के प्रनुसार कर लगाया जा सकता है जिसकी वह लाभांश देने वाली कपेनी निवासी है, परन्तु एस प्रकार लगाया गया कर नीचे बताई गई रकम से प्रधिक नहीं होगा:

- (क) लामांगों की संकल रकम का 5 प्रतिशत, यदि प्राप्तकर्ती 4 कोई ऐसी कंपनी है जो लाभांगों की भवायगी की सारीख से तत्काल पूर्ववर्ती छः मास की प्रवधि के दीरान लाभांग प्रया करने वाली कंपनी के ग्रेयगें के कम से कम 25 प्रतिशन ग्रेयरों का स्वामित्व रखती हो ,
- (ख) ग्रन्थ सभी मामलों में लाभांशों की सकल रक्तम का 15 प्रतिशत।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'लाभांशो' पद का प्रभिप्राय शेयरों प्रथवा प्रन्थ प्रधिकारों, जो ऋण-दावे न हों, लाभों में भागीवारी से प्राप्त भाय तथा प्रन्थ निगमित प्रधिकारों से प्राप्त बहु ग्राय है जो शेयरों प्रथवा किसी ऐसी प्रन्य मद से प्राप्त श्राय में समाहित हो, जो उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानून ढारा किसी कंम्पनी का लाभांश प्रथवा वितरण माना जाता है जिसमें वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।

4. पैराग्राफ-1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांश प्राप्त करने वाला, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश मवा करने वाली कंपनी एक निवासी हो, ऐसा स्थायी स्थापन हो, जिससे वह गेयर-धारिता, जिसके कारण लाभांगों की मवायगी की जाती है, प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में म्रनुच्छेद-7 के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से साभ प्रयया प्राप्त करती है, वहां कंपनी ढारा उन व्यक्तियों को दिए गए लाभांगों पर जो इस दूसरे राज्य के निवासी नहीं हैं; उस दूसरे राज्य में कोई कर नहीं लगाया जाएगा प्रथवा कंपनी के प्रवितरित लाभों पर प्रवितरित लाभ-कर की किस्म का कोई कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे दिया गया लाभांश प्रथवा प्रयितरित लाभ पूर्णतः प्रयवा रार्डगतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ घयवा ग्राय के रूप में ही हो।

जनुण्छेव −11

ब्याज

 एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को मदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. सथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य मं भी भीर उस राज्य के कानून के अनुसार कर सगाया जाएगा जिस राज्य में यह भाजित होता है, किन्तु इस प्रकार प्रभारित कर की रकम ब्याज की सकल रक्षम के 10 प्रतिशन से प्रधिक नहीं होगी।

3. पैराग्राफ-2 के उपबंधों क यावजूद भी, एक संविदाकारी राज्य में मजित होने वाले भ्रयवा दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार को भ्रथना उसके स्थानीय प्राधिकरण को उस दूसरे संविदाकारी राज्य के सेण्ट्रल बैंक प्रथवा उस गरकार प्रथवा स्थानीय प्राधिकरण की स्वासित्व वाली किसी एजेंसी को प्रदल ब्याज पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के कर से छूट वी जाएगी। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी; परस्पर सहमप्ति से, किसी भी प्रप्य सरकारी संस्थान को निर्धारित कर सकते ह जिस पर यह पैराग्राफ लागू होता हो।

4. इस प्रमुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'आज पर से, यरकारी प्रतिभूतिथो, बग्ध-पत्नों प्रायवा ऋण-पत्नों, जाहे ने अंधक डारा प्रतिभूत हो प्रायवा नहीं, भोर चाहे उनको लाओं में भागीदारी का प्रधिकार प्राप्त हो ग्रायवा नहीं, भौर हर प्रकार के भ्रष्टण-रायों से प्राप्त प्राय भीर साथ ही सभी प्रस्य ऐसी पाय से प्रभिन्नाय है, जो जिस संविधाकारी राज्य में जाय उद्मूत हुई दो, उस राज्य के कराधान कानून के अनुसार, उधार दिए गए धन से प्राप्त ग्राम में समाविष्ट की गयी हो।

5. पैराग्राफ-1 तथा 2 के उपबंघ उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज प्राप्तकर्ता संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें क्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से क्यापार चलाता हो प्राथवां उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं करता हो; गौर जिस दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह उस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान ग्राथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। इस प्रकार के मामले में ग्रनुच्छेद-7 के उपजंघ लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उप-मण्डल, कोई स्यानीय प्राधिकारी अयवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, आहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में उसका एक स्थायी प्रतिष्ठान है, जिसके सम्बन्ध में वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज को अदायगी की गई है; और इस प्रकार का ब्याज उस संवदाकारी राज्य में उद्भूत माना जाएगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

7. जहां क्याज ग्रदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के वीच, मयचा उस दोनों के ग्रीर किसी मन्य व्यक्ति के बीच, वियेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण, ग्रदा की गई क्याज की रकम; उस ऋण-वावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए क्याज की रकम ग्रदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के सम्बन्ध न होने की स्थिति में ग्रदा करने वाला ग्रीर प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस ग्रनुच्छेव के उपबंध केवल ग्रन्तिम वणित , रकम पर लागू होंगे ऐसे मामले में ग्रवायगी के ग्रतिरिक्त भाग पर, इस ग्रनिसमय के ग्रन्य उपबंधों का भनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के ग्रनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुण्छेर−12

रायस्टियां

 एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली मौर दूसरे संविदाकारी राज्य के तिवासी को ग्रदा की गई रायल्टियों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. लयापि, ऐसी रायल्टियों पर उस संविधाकारी राज्य में भी प्रौर उस राज्य के कानून के अनुगार कर लगाया जा सकेगा, जिसमें वे उद्धूत होती है, किन्तु इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायल्टियों की सकल एकम के 10 प्रतिगत में अधिक नहीं होगा।

3. इस प्रनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'रायल्टिया' पद से साहित्यिक, कलारंसक प्रथवा वैज्ञानिक छतियों (जिसमें चलचित्र-फिल्में तथा रेडियो प्रयवा दूर-दर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेप णामिल हैं), कोई पेटेन्ट, ट्रेड मार्क, डिजाइन प्रथवा माल, प्लान, गुप्त फार्मूला प्रथवा प्रक्रिया के प्रयोग प्रथवा प्रयोगाधिकार के रूप में प्रथवा प्रौद्योगिक, वाणिज्यिक प्रयवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए प्रथवा प्रयोगाधिकार के लिए प्रथवा प्रोधोगिक, वाणिज्यिक प्रथवा देशानिक प्रनुभव से संबंधित जानकारो के लिए प्राप्त किसी प्रकार की श्रवायगी प्रभिन्नेत है।

1. पैराग्राफ-1 मथा 2 के उपबंध उस हाल में लागू नहीं होगे यदि रायल्टी प्राप्तकर्ता, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है ब्रौर संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं वहां पर स्थित स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम ते क्यापार चलाता है जिससे ब्रधिकार धयवा संपत्ति के कारण रायस्टियां कारगर रूप से संबंधित हैं। ऎसे मामले में ग्रनक्छेद-7 के उपबंध लागू होंगे। 5. किसी संविवाकारी राज्य में रायस्टियां उद्धूत हुई मानी जायेंगी वरि रायस्टी प्रवा करने बाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उपमण्डल; कोई स्थानीय प्राधिकरण प्रथवा उस राज्य, कोई राजनीतिक हो, परन्तु जहां रायस्टियां प्रदा करने वाले व्यक्ति का, जाहे वह संविवाकारी राज्य का नोई निवामी हो, परन्तु जहां रायस्टियां प्रदा करने वाले व्यक्ति का, जाहे वह संविवाकारी राज्य का निवासी हो प्रथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थापी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में रायल्टी घदा की गई थी ग्रीर इस प्रकार की रायल्टियां उस स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में रायल्टी घदा की गई थी ग्रीर इस प्रकार की रायल्टियां उस स्थायी प्रतिष्ठान ढारा उद्भूत हुई हैं, तब ऐसी रायस्टियां उस संविदाकारी राज्य में जदेभूत हुई मानी जायेंगी, जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

6. जहां; राधस्टी ग्रवा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच अयवा उन दोनों के ग्रीर किसी ग्रव्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबध होने के कारण, ग्रदा की गयी रायल्टियों की रकम, उसके ऐसे इस्तेमाल, ग्रधिकार ग्रयवा सूचना को घ्यान में रखते हुए, जिसके लिए वे रायल्टियां प्रदा की जाती हैं, उस रकम से बढ़ जाती है जिमके लिए इस प्रकार के संबंध न होने की स्थिति में ग्रदा करने वाले श्रीर प्राप्त कर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस प्रनुष्टेद के उपबंध केवल ग्रन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। उस मामले में, ग्रदायगियों के प्रधिभाग पर, इस करार के ग्रन्य उपबंधों का ग्रनुपालन करते हुए, प्रत्येक मंबिदाकारी राज्य के कानून के ग्रनुसार कर लगाया जाएगा।

भमुण्छेब-13

पूंजोगत अभिलाभ

 मचल संपत्ति के अन्तरण से होते वाले माभिलाभ, मनुच्छेद-6 में पैराग्राफ-2 में यथापरिभाषित, उस संविदाकारी राज्य में कराधेय हो सकेंगे जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है।

2. ऐसी चल संपत्ति के ग्रन्तरण से, जो उस स्थायी प्रतिष्ठान की व्या-पारिक संपत्ति का एक भाग हो जो (प्रतिष्ठान) किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का ग्रन्थ संविदाकारी राज्य में स्थिन हो, प्रथवा एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य के व्यावसायिक संवामों के निष्पावन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध किसी निश्चित आधार से संबंधित चल संपत्ति से प्राप्त ग्रभिनाभों पर, जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (ग्रकेले ग्रथवा संपूर्ण उद्यम के साथ) प्रथवा ऐसे निर्धारित स्थान के ग्रंतरण से प्राप्त ग्रभिलाभ भी शामिल है, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. पैराधाफ-2 के उपबंधों के हौते हुए भी, एक संविवाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा ऐसे जल-पोतों तथा वायुयान के प्रतरण से जिन्हें ऐसा उद्यम प्रतर्राष्ट्रीय यातायात के प्रंतर्गत परिचालन करता है तथा इस प्रकार के जलपोतों तथा वायुयानों के संचालन से संबंधित खल संपत्ति से प्राप्त लाभ केवल उस राज्य में कराधेय होंगे।

4. संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, पैराघाफ 1, 2 तवा 3 में उल्लिखित संपत्ति से भिग्ल किसी संपत्ति के अन्तरण में प्राप्त प्रभिलाम केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे।

5. 'ग्रस्तरण' पद का ग्रयं संपत्ति का विकय, विनियम, प्रभत्तरण मयवा त्याग ग्रथवा उनमें क्रिसी भी भीधिकार की समाप्ति मयवा मलग-मलग मंविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त किसी भी कानन के ग्रंतर्गत उसका मनिवार्य प्रधिग्रहण है।

अनुष्ठेब-14

प्रबन्ध स्थवस्था तथा परासर्ग संबंधी फीस

 एक संविधाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली मौर हूसरे संविधाकारी राज्य के विचासी को भवा की गई प्रदंध-म्यवस्था तचा परापर्थ संबंधी फीसे पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा। 2. सथापि, इस प्रकार की फीस पर कर, उस संविधाकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानून के प्रतुसार लगाबा जा सकेगा जिसमें वे उद्धुपूल होती हैं, किन्तु इस प्रकार लगाए गए कर की रकम फीम की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. इस मनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त 'प्रबंध मौर परामर्ण संबंधी फीस' पद बंध का प्रर्थ, प्रदायगी करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी से इतर अन्य व्यक्तियों की प्रबन्धकीय सकनीकी प्रयवा परामर्थी किरूम की किन्हीं सेवाम्रों के प्रतिफल के रूप में की जाने वाली किसी भी प्रकार की अदायगी है।

4. परिप्राफ-1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होते जब प्रबन्ध और परासर्ग संबंधी फीस प्राप्त करने वाले व्यक्ति का किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते उस दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें फीस उद्भूरु होती है, कोई ऐसा स्थायी प्रतिष्ठान हो जिसने वे सैवाएं कारगर रूप से सम्बन्ध हों जिनके कारण कीस उद्भूष होती हो । ऐसे मामले में, अनुच्छेद-7 के उपबंध लागू होंगे ।

5. प्रबन्ध और परामर्श संबंधी फीस संविधाकारी राज्य में उद्भूत हुई कव मानी जाएसी जबकि अवा करने वाला, त्वयं वह संविदाकारी राज्य हो, कोई राजनीतिक उप-मण्डल हो, कोई स्थामीय प्राधिकरण हो अथवा उस राज्य का कोई निवासी हों। किन्तु, जहा प्रबन्ध और परामर्श संबंधी फीस अदा करने वाले व्यक्ति को, चाहे वह उस राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविधाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध, में फीस अदा की गयी थी और ऐसी फीस इस मकार के प्रतिष्ठान द्वारा वहन को जाती है ता ऐसी फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्यू हुई मानी आधगी जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

6. जहां अदा करने वासे तथा प्राप्त करने वासे के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा विसी दूसरे स्थलि के बीच विघोष. सम्बन्ध होने के कारण प्रबन्ध तथा परामर्श सम्बन्धी फीस की अदा की गई रकम उन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिनके लिए फीस की अदायशी की गयी है, उस रकन से बढ़ जाती है जिसके वाले स्था प्राप्तकर्ता के सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में, अदा करने वाला तथा प्राप्तकर्ता के बीच सहमां हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसी स्थिति में, अदा की गई रकनों के अधिक काग पर, इस करार के अन्ध उपक्षण्धों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविधाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर सगरया जाएगा।

अ**मुच्छेद-**15

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

 अमूच्छेद-16 के उपबन्धों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, वृत्ति-संबंधा सेवाओं अथवा इसा प्रकार के अन्य स्वतंत्र कायंकलायों के संबंध में प्राप्त आय पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब तक कि----

- (क) अपने कार्य-कलापों के प्रयोजनों के निमित्त उसे दूसरे संविदाकारो राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध न हो, जिस मामले में उस दूसरे राज्य में कर उतनी रकम पर लगाया जा मकेगा जो उस निषिचत स्थान के कारण उद्भूत हुई मानो जा सकती हो; अथवा
- (ख) भारत के सामले में वह संगत 'पूर्ववर्ती वर्ष' में तथा जोम्बिया के मामने में संगत 'कर-प्रशार' में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक को अवधि अववा अवधियों के लिए अपने कार्य-कलापों के प्रयोजन के निभिन्त, दूसरे संविदालारो राज्य में उपस्वित नहीं रहा हो और ऐसी स्विति में उस राज्य में बाव की

उक्तनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में किये गये कार्य-कलापों के कारवा उद्यभूत तुई मानी जा सकनी हो।

(ग) दूसरे संविदाकारी राज्य में उने उम संविदाकारी राज्य के निवासियों से अपनी सेवाओं और कार्य-कलापों के लिए प्राप्त पारिकमित्र की रुकम, इसके बावजूद कि उस राज्य में कराधेय वर्ष के दौरान उसके निवान की अवधि अयवा अवधियों का कुछ योग 183 दिन से कम हो, कराधेय वर्ष में 10,000 क्वाचा जववा जारतीय मुद्रा में उसके समगुल्य रक्षम (जिसमें दूसरे संविद्यकारी राज्य में की गई सेवाओं अथवा कार्य-कलापों से प्रत्यकरूप से संबंधित यासा-स्थय णामिल नहीं है) से अबिक नहीं हों।

3. 'बृत्ति जंबंधी सेवाएं' पदवंत में स्वतंक्ष वैकानिक, साहिरियक, कलात्मक, बीक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यजलपपों तथा चिकित्सकों, बकीलों, इंजीनियरों, वाल्युकारों, दंठ-जिकित्मकों जीर लेबाकारों के स्वतंत्र सार्य-कलाप की भामिल हैं।

লশকিব্-16

बराश्रित वैयस्टिक नेवाएं

 अनुक्वेद-17, 18, 19, 20, 21 तथा 32 के उपवंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासों को, नियोजन के सभ्यत्म में प्राप्त बेतन, मजूरी तथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्वमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग करेगा जश्र तंक कि उसका नियोजन दूसरे सम्बन्ध संविदाकारी राज्य में ल हो। यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में हो तो उसने प्राप्त पारिश्वमिक पर उस हूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. दैराप्राफ-1 के भ्यवंत्रों के होते हुए भी, एक संविधाकारी राज्य के किसी निवामी को, इसरे संविधाकारी राज्य में प्रयुक्त नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर, केवल प्रथमोक्त राज्य में ही सरोगा पवि----

- (क) प्राच्तकर्त्ता आव के वित्तीय वर्ष में क्रुल मिलाकर 183 दिन की अवधि अवध अवधियों के लिए हुमरे संविवाकारी राज्य में मौजद रहा है, और
- (का) पारिभामिक की अदायती ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी जोर से की गई हो जो इल्पे राज्य का निवासी सहीं है, और
 - (ग) पारिश्वमिक किनी ऐंगे स्वाबी प्रतिष्ठात अथवा निश्चित्र स्थान द्वारा बहुन न किया गथा हो, जो कि उस नियोजक का दूसरे राज्ध में है।

3. पराप्राफ-1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, अंतराष्ट्रीय पानामाल में जलपोल पर अपवा वायुवान पर किये गये नियोजन के संबंध में पारिश्रामिक पर कर उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उन उदयम की प्रभागी प्रबंध-गवस्था है।

अनुष्छेद- 1 ७

निरेगक-मुल्क

मंत्रि कर कर विवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मडन के एक सदस्य का असिपत से जो दूसरे संविदाक़ारी राज्य का निवासी इ. प्राप्त निपंतान का फोत का इसो प्रकार को अदागियों पर उस दूसरे संविदाकारी शाज्य में कर लग मठेगा।

स**नुप्छेद-**18

कलाकार और दिलाड़ी

अनुच्छोद-15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक-मनोरंजन-कर्ताओं (जैसे वियेटर, चलचित्र रेडियो अवचा दूर-दर्शन चलाकार तचा मंगीतकार) अवचा खिलाड़ियों को अपनी हैसियत से अपने वैयीलक मार्यों से प्राप्त आध पर उस संविदाकारी राज्य में कद लग संकेमा जिसमें ऐसे कार्य फिये गए हो ।

किन्तु ऐसां अत्य पर उक्त संधिदकारी राज्य में कर नहीं मग सकेग, यदि खोक-मनोरंजनकक्तीओं अथवा चिलाड़ियों को उस राज्य की यात्रा का व्यय प्रत्यक्ष अधवा अप्रत्यक्षनः दूसरे संविदकारी राज्य की सरकार का मार्वजनिक निश्चियों से पूर्णतः अथवा पर्यातत; किया गया हो।

2. इस अनुच्छेक् के प्रयोजन के लिए, 'मरकार' पद में बोनों संविदाकारो राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की राज्य सरकार, राजनीतिक उप-मण्डल, अथवा न्यानीय अथवा सौविधिक प्राधिकारी सम्मिलिन माने जाएंगे।

अनुच्छेद-19

सरकारा कार्य

 किसी संविद्धकारा राज्य, राजनैतिक उप-मच्चल, अवव, उसके स्पानीय माधिकरण द्वारा उस राज्य के किसी नागरिक को किसी तियोजन के संबंध में अद, किए गए अपवा सुणित को गई निधियों में से दिये गये पारिश्रमिक पर कर केवल उस राज्य में हूं/ लगेगा।

2. किसो संविदाकारी राज्य, राजनीतिक उपमण्डल, अववदा उसके किसो स्थानीय प्राधिकरण द्वारी किसी भी क्यक्ति को भवा को गई अववा सुजित को गई निधियों में से दो गई किसो भो पेम्थल पर कर उम्र संविदाकारो राज्य में लगाया जा सकेगा।

. इस अनुम्लडेद के पैरायाफ 1 के उपबंध किसी भां संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा लाम के प्रयोजनार्थ चलाये जा रहे किसो क्यापार के संबंध में को गई सेवाओं के लिए अदा को गई रक्षमों पर लागू नहीं होंगे।

4. इस अनुच्छेव के प्रयोजनों के लिए सरकार पद में बोनों संविदा-कारों राज्यों को कोई भी राज्य संश्कार अयवा स्थानोय अयवा सौधि-शिक प्राधिकारी और विगोषरूप से, भारतोय रिजर्य बैंक सवा वक आफ जाम्बिया प्रासिल होंगे।

अनुच्छेरा-20

गैर सरकारी पेंशन तथा वर्षिकमां

 एक संविदाकारों राज्य के किसो निवासों द्वारा दूसर संविदाकारों राज्य के सीतों से प्राप्त को जा रहों किसों भो पेन्सन (अनुष्छेद 19 में उन्नियित पेन्जन से भिग्न) अथवा वाधिको पर कर केवल प्रथमोल्लिखित मंविदाकारों राज्य में लगाया जा सकता है।

2 'पेन्शन' पद कः अर्थ उस नियसक। लिक भुगतःन से है जो विगत समय में को गई सेवाशों के प्रतिफल के रुप में अयवः सेवाओं के निष्पादन के बीरान शारीनिक कोट को क्षतिपूर्ति के रुप में प्राप्त किय, गया हो।

3. 'बार्षिक' पद का अर्थ उस उल्लिखित राशि से है जो धन अथवः धन के मूल्प में पर्याध्त अखवः पूरे प्रतिफल के लिए, अदायगियाँ करने के किसां दाधित्व के अधोन, जोवन पर्यंश्त अखवः विलिधिष्ट अथवः निश्चित समयाबीज के वीरान उल्लिखित समय पर देय होगो।

अनुम्छेद-१।

अनुसंधान कामिक, विद्यार्थी तना व्यापर प्रणिक्ष

1 (क) कोई व्यक्टि जो उस समय संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो तब केंद्र दूसरे संधिवाकारों राज्य के इस मूल प्रयोजन के लिए अर्थात:---

- (i) उस दूभरे संविदाकारी राज्य में स्थित विश्वविद्यालग अथवा अन्य सान्यता-प्राध्त संस्थान में अध्ययन के लिग,
- (ii) व्यवसत्य चलाने अथवा व्यवसाय संबंधा विषोपज्ञता का उपयोग करने के बारे में अहुँता प्राप्त करने के निमित्त अपेक्षित प्रणिक्षण प्राप्त करने के लिए, अथवा
- (iii) सरकारी धार्मिक धमार्थ, वैज्ञानिक, माहित्यिक अयव, गौक्षिक संगठन से अनुदान, भत्ता, अवधा पुरस्क.र प्राप्तकला के रूप में अघ्ययन करने अथवा अनुसंघान कार्यं करने के लिए अस्यायी रूप से मौजूब हो, उसे उस दूसरे सांवयाकारी राज्य द्वार. उप-पैराप्राफ (ख) में उस्लिखित रकमों के संबंध में उस दूसरे संविवाकारी राज्य में उसके आगमन की तारीख से उस अवधि के लिए जो कर लगने योग्य 5 वर्ष से अधिक नहीं हो, कर से छूट दी जाएगी।
- (ख) उव-पैर,ग्राफ (क) में उस्लिवित रकमें हैं :--
- (i) अपने भरण-पोषण, प्रौक्षिक अध्ययन. अनुसंध.न अपव. प्रशिक्षण के उद्देशप के सिये विदेश में प्रा^{*}त दान;
- (ii) अनुदान मस्ता, अथवा पुरस्कार, और
- (iii) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई सेवाझों से प्राप्त द्याय जो किमी भी कर योग्य वर्ष के संबंध में 1.500 जाम्बियाई क्वाचा भ्रषया उसके समतुल्य मारतीय रुपये से प्रधिक नहीं हो ।

2. एक व्यप्टि जो संविवाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी हो भीर जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रथमोल्लिखिन संविधाकारी राज्य के किसी निवासी के एक कर्मचारी के रूप में अथवा ठेके के ग्रन्सगैत एक कर्मचारी के रूप में—

- (क) प्रथमोक्त संविधकारी राज्य के उस निवासी से भिन्न किसी व्यभिन्न से स्रयवा ऐसे निवासी से संबंधित किसी व्यभित से भिन्न व्यक्ति से सकनीकी व्यायसायिक, ग्रयवा व्यापार संबंधी ग्रनुभव करने, ग्रथवा
- (बा) उस बूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविधालय प्रथवा भ्रन्य मान्यताप्राप्त मैक्षिक संस्था में म्राघ्ययन करने के मुद्ध प्रयोजन के लिए प्रस्थायी तौर से उपस्थित रहता है उसे, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसकी वैयक्तिक सेवान्नों से प्राप्त माय पर, जिसकी कुल रकम 2,500 जाग्वियायी क्वाचा ग्रथवा उसके समतुत्य भारतीय रुपयों से प्रधिक नही हो, 1 वर्ष से ग्रनधिक की मबधी के लिए कर से छुट प्राप्त होगी।

3. एक व्यप्टि को जो किसी संविवाकारी राज्य था निवासी है फ्रीर जो उस दूसरे संविवाकारी राज्य में 1 वर्ष से घनधिक की प्रवधि के लिए, उस दूसरे संविवाकारी राज्य की सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में एक भागीदार के रूप में, प्रशिक्षण, ग्रनुसंधान ग्रथवा प्रध्ययन के मुख्य प्रयोजन के लिए ग्रस्थायी रूप से उपस्थित रहता है उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, इस तरह के प्रणिषण, ग्रनुसंधान अथवा ग्रध्यन के संबंध में का गई बैक्तिक सेवाओं से प्राप्त माय पर, जो 3,500 जान्मिमाय: क्याजा अथवा इसके समतुत्य भारतीय रुपये से ज्रधिक नहीं हो, उस दूमरे संविदाकारो राज्य में क: में कूट प्राप्त होगो।

भनुष्छेर-22

গাচনাথৰ জীয় লচনামৰ

1. एक प्राध्यापक अथना अध्यापक को, जो किनो संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तुल्त पहले दूसरे संनिदाकारी राज्य का निवाली है या था और जो प्रथमोल्लिखिल राज्य में प्रधिक से अधिक दो वर्षों की शवसि के लिए, उक्क प्रष्ठायन अथवा कोध कार्य करने के प्रयोजनार्य अथवा किसी विषयविद्यालय, महाविद्यालय स्कूल प्रदाया मन्य शैक्षिक संस्था में प्रष्ठाया करने के लिए, प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे किसी पारिश्रमिक के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी जिसे बह इस प्रकार के कार्य के लाए प्राप्त करता है, बशरों कि उसके ध्वारा ऐसा पारिश्रमिक उम राज्य के बाहर से प्राप्त किया जाता है।

2. यह अनुछेद छनुसंधान कार्य से प्राप्त माय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा गोधकार्य मुख्यरूप से किसी विशिध्ट व्यक्ति प्रचवा व्यक्तियों के सिजी लाभों के लिए किया जाता है।

3. इस अनुभ्छेद भीर अनुभ्छेद-21 के उद्देश्यों के लिए कोई व्यध्टि किसी संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह उस संविधाक री राज्य में 'पूर्ववर्सी वर्ष' में अथवा 'कर प्रभार वर्ष' में जैसी भी स्थिति हो, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है प्रयवा तुरन्त पहले के 'पूर्ववर्ती वर्ष' अथवा 'कर-अभार वर्ष' में तिवासी है।

লশু স্তৰ-23

धाय, जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया एक संविदाकारी राज्य के निवासी की घाय की मयें वे जहां कहीं भी उद्भूत होती हों ग्रीर जिनका इस भभिसमय के पूर्ववर्ती मनुण्छेदों में विवेचन नहीं किया गया है, वे केवल उस राज्य में कर लगने योग्य होंगी, सिवाय इसके कि सदि ऐसी आय दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैतो उस पर दूसरे राज्य में भी कर लगेगा।

भष्याय IV

वोहरे कराधन के उपकरण के लिए प्रणाली

भनुच्छेद 24

वोहरे कराधान का परिहार

 1. इस अभिसमय में बनाए गये विपरीत प्रावधानों को छोड़कर दोनों में से किसी भी एक राज्य में लागू कानून अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में प्राय के कराखान को शासित करते रहेंगे।

2. (क) जाम्बिया के कानूनों के मंतर्गत और इस घंधिसमय के उपबच्धों के अनुसार, प्ररयक्षदः अथवा कटौती द्वारा भारत ने किसी निवासी की जाम्बिया में स्थित साधनों से प्राप्त ग्राय पर भारत को किसी निवासी की जाम्बिया में स्थित साधनों से प्राप्त ग्राय पर भारत कोर जाम्बिया दोनों में कर का रकम को, उक्त ग्राय के संबंध में देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की स्वीक्रति दी जायगी, बशरों कि ऐसी जमा (ऐसी जमा मानने से पूर्व ययासंगणित) मारतीय कर की उमर क्रम को स्वीक्रति दी जायगी, बशरों कि ऐसी जमा (ऐसी जमा मानने से पूर्व ययासंगणित) मारतीय कर की उमर रकम से घ्रधिक नहीं हो, जो जाम्बिया में स्थित साधनों से प्राप्त के प्रतेक एसी जमा (ऐसी जमा मानने से पूर्व ययासंगणित) मारतीय कर की उमर रकम से घ्रधिक नहीं हो, जो जाम्बिया में स्थित साधनों से प्राप्त में प्रतिकर प्रवा करना है, वहां उपर्युक्त जमा रकम प्रथम वार कम्पनी द्वारा भारत में प्रावकर प्रवा करना है, वहां उपर्युक्त जमा रकम प्रथम वार कम्पनी द्वारा भारत में घ्रावकर प्रवा करना है, यहां उपर्युक्त जमा रकम प्रथम वार कम्पनी द्वारा भारत में ज्ञायकर के प्रति देय मानी जाएगी, भीर योष रकम यदि कोई होतो यह उसके द्वारा भारत में प्रवा कियं जाने वाले अतिकर के रना में जमा मानी जायगी।

(ख) उपर्युक्त उप-पैरा (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजन के लिए, 'आम्बिया का दंव कर' पदवन्ध में ऐसी कोई भी रकम शामिल मानी आएगी जो किसी मी वर्ष के लिए जाम्बिया के कर के रूप में देय रही हो, परन्तु ऐसे किन्हीं उपबन्धों को छोड़कर, जो आर्थिक विकास जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सहमत हों।

[माग II---खंड 3(i)]

3 (क) भारत के कान्तों के पंतर्गत स्त्रीर इस पनिमाग्य के उपावस्थों के अस्मार, पत्यक्षत अथवा कटीतो द्वारा जास्विया के किसी तिवासी की भारत में स्थित साधतों से प्राप्त साथ पर भारत झोर जास्विया दोतों मे कर लगाया गया है, तो देप भारसीय कर की रक्षम को, उक्त द्याय के मंबंध में देय जास्त्रिया के कर के प्रति जमा मानत की स्वीकृति टी जायगी बर्भनें कि जमा की रकम (ऐसी जमा स्वीकृत किये जाने से पूर्व गयासंगणित) जास्त्रिया के कर की उस रकम मे अधिक नहीं हो, जो भारत में स्थित माधनों मे प्राप्त प्राय के प्रतुरूप हूँ;

(ख) उपर्युक्त उप-पैरा (क) में उखिखित अमा के प्रयोजनों के लिए 'देय भारतीय कर' पवबंध में ऐसी कोई भी रकम णामिल की गई मान ली जाएगी जिसके द्वारा प्रायकर अधिनियम, 1961 की निम्नलिखिन घाराग्रों में निर्धारित किए गये विशेष प्रोत्माहन उपायों के प्रनुसार भारतीय कर घटा दिया गया हूं।---

- (i) धारा 10(1) जो किसी प्रतिवासी को, भारत सरकार द्वारा अधिसुचित किसी प्रतिभूति पर देय व्याज पर कर से छूट के सम्बन्ध में है;
- (ii) धारा 10(4क)-जो ग्रनिवासी (परराष्ट्रीयक) लेखे की रकमों पर किसी भ्रनिवासी को देय ब्याज पर कर से छूट के बारे में है ;
- (iii) धारा 10(15) (iv)-जिसका संबंध निम्नलिखित को कर से छूट देने से है: (क) किसी भनिवामी द्वारा भारन सरकार प्रथवा बहां के स्थार्न.य प्राधिकरण को उधार दिये गये धन के सम्बन्ध में उसे छूट; (य) किसी स्वीक्रित बिदेगी वित्तीय संस्था द्वारा भारन में किसी घौद्योगिक उपग्रम की किसी ग्रण-करार के मल्तर्गत उधार दिये गये धन पर व्याज; धोर (ग) किसी प्रनिवामी द्वारा भारत में किसी भ्रीद्योगिक उपश्रम की भारत के सल्पा प्रतिवामी द्वारा भारत में किसी भ्रीद्योगिक उपश्रम की किसी नण-करार के मल्तर्गत उधार दिये गये धन पर व्याज; धोर (ग) किसी प्रतिवामी द्वारा भारत में किसी भ्रीद्योगिक उपश्रम को भारत से बाहर करने माल प्रथवा पूंची के रूप में संयंत्र नथा मणीनरी प्रथवा प्रौद्योगिक विकास के लिए उधार दिये गये भ्रम भ्रथा उधार दिये गये भ्रम भ्रथा हारा भारत में विकास के लिए उधार दिये गये भ्रम प्रथवा अधार म्रुविग्रान्नों पर व्याज;
- (iv) धारा 32क----जो जलपोलों, बायुयानों, मधीनरी ग्रथना संयंत के सम्बन्ध मे नित्रेश में छुट के आरे में है;
- (v) धारा 33क---जो चाय के पौधों के रोपण झौर पुनः रोपण के लिए विकास छट के बारे में है;
- (vi) धारा 35ग----जो कृषि विकास छ्ट के संबंध में है;
- (vii) धारा 54क---जो पुंजीगत लाभों के बारे में है;
- (viii) धारा 80गग---जो कुछ नये शेवरों के सम्बन्ध में कटौती के बारे में है;
- (ix) धारा 30जज--जो कतिपथ क्षेत्रों में नव-स्थापित लघु ग्रौद्यो-गिक उपकमों से लाभों श्रीर प्रभिलाभों के संबंध में कटौती के बारे में है;
- (X) धारा 803—जो उपयुक्त झौधोगिक उपकमां प्रयवा जलपोतों ग्रयवा होटलों से लाभों झौर झभिलाभों के संबंध में कटौती के बारे में है;
- (Xi) धारा 80ट—जो उपयुक्त ग्रीष्टोगिक उपकर्मो ग्रथवा जलपोतों प्रषया होटलों से लाभों ग्रीर भभिलाभों के कारण देय लाभागों के संबंध में कटीती के संबंध में है;
- (Xii) कोई भी ग्रन्थ उपबन्ध जो कर की छट ग्रयवा कमी प्रवान करने के लिए बाद में ग्रधिनियमित किये जायें, जिनके बारे में दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच यह सहमति हो कि ये ग्राधिक दिकास के प्रयोजनों के लिए हैं।

1 उस ग्रेथिंगमंग के उपतन्त्रों के पतुशार जिस धाय पर एक संविदा-कारी राज्य में बार नहीं लगांथा जाता है, उसे, उस संविदाकारी राज्य में लगाये जाने वाले कर की दर को संगणना के लिए हिसाब में लिया जा मुछेगा।

अध्याय-V बिणव उपवन्ध अनुच्छेद- 25 सम-उपवहार

 एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई जराधान व्यवस्था प्रथवा तत्संबंधी ऐसी कोई यपेक्षा लागू नहीं की जायेगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न प्रथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संविदाकारी राज्य के उन्नम के स्थायी संस्थान पर, जो दूसरे संविदाकांगी राज्य में है, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जायेगा जो उस दूसरे राज्य के, त्रैसी ही परिस्थितियों में वैसे ही कार्य में प्रवृत्त उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से प्रनेक्षाइतन कम प्रनुकूल हो।

3. एम अनुब्खेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उससे एक संविदाकारी राज्य को, ऐसे व्यक्तियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोगनों के लिये किसी भी प्रकार ही वैथक्तिक छट्टें,राहतें और घडोिल्यां प्रदान उस्त का अधिकार प्राप्त होता है जो कानूसन केवल उन्ही व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, जो बहां के निवासी है।

4 एक संविवाकारी राज्य के उन्नमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णनः अथवा अंगतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः यथवा राप्रस्थक्षतः स्वामित्व प्रथवा नियंवणं में हैं, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में कोई ऐसी कराधात व्यवस्था अथवा तत्मवंधी ऐसी पॉर्ड अपंक्षा लागू नहीं की जायेगी, जो उन कराधान और तत्मवंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों, जो उन प्रथमोक्त राज्य के अन्य वैसे ही उच्चमों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू है अथवा हो सकती हैं।

5. इस अनुच्छेद में 'कराधान' पद का प्रार्थ उन करों से हैं, जो इस प्रभिसमय का विषय है।

अमुच्छेब-26

पारस्परिक करार कार्यविक्षी

1. जहां एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता है कि एक प्रथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण कराधान लगाया जाता है घ्रथजो लगाया जायेगा, जो ध्य घभिसमय के घनुकृल नहीं है, तो वह धन राज्यों के राष्ट्रीय नियमों ढारा उपबन्धित उपचारों के होते हुए भी, जिस संविवाकारी राज्य का निवासी है, प्रपना मामला उसके सक्षम प्राधिकारी को प्रस्कुत कर सकता है। यह मामला उस कार्यवाही के नोटिस को प्राप्ति की नागिख से तीन वर्ष के भीतर प्रवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिससे ऐसे कराधान में वृद्धि होती है जो प्रभिसमय के घनुसार नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपति उचिन लगे और यदि बह स्वयं कियी उपयुक्त हल पर पहुंचने में प्रसमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के निवारण की दुष्टि से, जो ध्स प्रभिगमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे सविवाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को इल कर का प्रयास करेगा। सम्पन्न किये गये किसी भी करार को कार्यान्वित किया जाएगा, चाले संविधाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न डो।

9

[PART II_-SEC. 3(ii)]

त इस प्रयोग की स्थापण अपने भारत करने से साथ तरने में सर्फ कों कठिताइया अथवा ए ए उपदा हों तो पॉनवाकांनी राज्यों र राक्षम पालिकार उन्हें पारस्थरिक सहमति से इल करने का प्रयास गरींसे। ये पन गामलों में दोहरे कराधान के प्रपाकरण के लिए एक दूसरे के साथ विचार-धिमर्थ कर सफते हैं जिनकी ग्रमिसमय में व्यवस्था नहीं है।

4. पूर्वी का पैरों के प्रभिन्नाय को लेकर सहमूति के प्रयोजनार्थ संविदा-कार्ग राज्यों क सुक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के माथ मीचि पत्र-त्र्यवाहर कर सकते हैं। यहगत होने में जब विलारों का मौखिक खादाने प्रदान जियत प्रतीत होता हो तो ऐसे खादान प्रदान किसी धार्थांग के माध्यम से किये जा सकते है जियमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतितिधि हों।

अनुच्छेब-27

मुखना का ऑदान-प्रवान

ा सविश्वकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना अथवा इस्तायेंज का शादान-प्रवान करें ग जो इस करार के उपवन्धों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधवा उन करों के प्रपत्ननन् को रोकले के लिए प्राधप्र्यक है, जो इस अभिसमय के विषय है। इस प्रकार धावान-प्रवान की गयी सूचना प्रधवा दस्तावेज को गुग्त समसा जायेगा. तेकिन उस ऐसे व्यक्तियों को (जिनमें न्यायालय प्रथवा ब्रन्च प्राधिकारी गामिल हैं) प्रकट किया जा सकेगा, जो उन करों की निर्धारण बसूचों प्रवर्तन, जांचपट्टनाल प्रथवा प्रभियोजन से संवधित हों, जो इस प्रभित्तमय के विषय है अथवा ऐसे व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा. जिनसे सूचना ध्रथवा दस्तावेन का सकेग्र हो।

अ सूचना प्रथवा दल्याते को का आदान-प्रदान नेम आधार पर होगा प्रथवा विणेष मामलों के संबंध में चन्रोध पर किया जा सकेगा, तेमी प्राधार पर दी जॉने वाली सूचना प्रथवा दल्यावेजों की सूची के सबंध में संविद्याकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों की समय-समय पर संहमति प्रावण्यक होगी।

3 किसी भी स्पिति में पैरा-। के उपबन्धों का वह अर्थ तही लगाया जोवेगा जिसमें कि किसी संविदाकारी राज्य पर तिम्तलिखित भार डाला जाय.---

- (१) एक घ्रथथा क्ष्मरे संविदातारी राज्य की विश्वियों प्रथवा प्रशा-सनिक प्रथा में हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
 - (ख) ऐसी सूचनाअथ हा दस्पावेज देना जो एक प्रथया हुमरे सविदाकारी राज्य की विधियों के घन्तर्गत अथना पणासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं हु :
 - (ग) ऐसी सुधना प्रथवा दस्ताक्षेत्र देना, जिससे कोई स्थापारिक, व्यत्रसायिक, सीक्षोगिक, वाणिज्यक प्रथवा रोजगार संबधी स्पन भेद प्रयक्ष व्यापारिक प्रक्रिया प्रथवा सूचना प्रकट होनी हो, जिसको प्रकट करना गरकार की नीनि के प्रतिन्त हो।

সন্ছন্ট**ব**-28

र।जनयिक और कॉमली कार्य

धन्तरांग्द्रीय विश्वि के सामान्य नियमों के घन्तर्गत ग्राथवा विक्रेय करारों के प्रावधानीं के घन्तर्गक्ष इस प्रभिसमय से राजनयिक घवया कोंमली घांधकारियों के *राज्य-कर* विषय्यक विक्रेपाधिकारों पर कोई प्रभाव तहीं परेगा।

अच्याय - ७ उपसहार **ऋनुच्छेद -** 29

प्रवर्तन

। यह ग्रभिसमय उस तारंख से लागू होगा जब भारत में तथा जास्त्रिया में दे सभी बातें पूरी कर ली जाएँगी जो इस श्रसिसमय को कमणः भारत में तथा जास्त्रिया में कानून की णक्ति प्रदान करने के लिए श्रावश्यक हैं। 2 कोलों संविद्यालगरी राज्य इस प्रपुत्रक्रेद में पैरा -1 में उल्मिखित सपेक्षाओं म पूरा हो जाने को एक दूसरे के साथ प्रधिसूचित करेंगे। राजनयिक टिप्पणियों का मादात, प्रदात, जिनमें यह प्रमाणित किया गया हो कि यह प्रपेक्षा पूर्य कर ली गई के लगाका में किया भाष्या।

3. ऐसी राजनधिक टिपणियों का श्राधान प्रदान हो जाने पर यह ग्रमिसमय -

- (क) भारत में, 1 अप्रैल, 1979 को अथवा उसके बादे णुभ होने बाले किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के संबंध में कर-निर्धारण योग्य आय के बारे में ;
- (ख) जाम्बिया मे. 1 अप्रैल, 1979 को प्रथम उसके बाद ग्रारम्भ होने वाले किसी भी कर-प्रभार वर्ष के सबंध में उतान्त होने वाली ग्राय के बारे में ;

लाग शोगा ।

धनुष्ठेद - 30

ममारित

यह ग्रभिसमय ग्रांनश्वित काल तक लागू रहेगा परन्तु कोई भी संबिदाकारी राज्य, ध्रसके लागू होने की तारीख में पांच वर्षों की ग्रवधि के समाप्त होने के बाद धारम्भ होने वाली किसी भी कैलेन्डर वर्ष में भुन के तीसयें दिन को प्रथया उससे

बहुले दूसरे मंबिदाकारी राज्य को, राजनयिक माध्यमी में समाप्ति का लिम्बित नोटिस दे सकेगा और बैसी स्थिति में यह प्रभिममय :---

(क) जाम्बिया में, जिंग औरेस्टर को में समाणि का चोटिस दिया गया हो उसके प्रसंस परबर्ली दूसरे कैलेस्टर वर्ष में ग्रोर परबर्ती वर्षी में, ग्राप्रैल के प्रथम दिन को एक होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के संवध में कर निर्धारण सांस्य ग्राय के बारे में ;

(ख्र) भारत में, जिस कैलेंस्टर क्ये में समाप्ति का तोटिस दिया गया हो. उपके प्रगते परवर्ती वर्ए में तथा बाद के वर्गों में प्राण के वये के सबंध में उत्पत्त होने वाली ग्राय के बारे में ,

लागू नही रहेगा ।

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधियत प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों न इस धानमस्य पर हस्ताक्षर फिए है ।

अपुगका में बर्ध एक हजार तो सौ इक्यासी के जून मास के पालवें दिन अधेजी भाषा की दा पनियों में किया गया ।

केदरर पण्डे, रेल मन्ती.	मानन प के े ण्म० मस्योकोटवाने, समय सदस्य
भारत गणराज्य की भग्कार	त्रिन मंत्री, जाम्विया गणरज्य
	की सरकार,
	-

[फारुसर 501/11/65/एफ टीर्डोर] चारकरण सिक्त, संपर्क्त सभिव

MINISTRY OF FINNCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 18th January, 1984

NOTIFICATION

INCOME-TAX

G.S.R. 39(E).—Whereas the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Zambia have concluded a Convention as set out in the Annexure hereto, for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income; And whereas all the requiremnts have been completed in India and Zambia as are necessary to give the said Convention the force of law in India and Zambia respectively, as required by paragraph 1 of Article 29 of the said Convention;

And whereas the diplomatic notes to this effect have been exchanged between the said two Governments, as required by paragraph 2 of Article 29 of the said Convention.;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOV-ERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

CONVENTION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAYATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Zambia.

Desiring to conclude a Convention for the avoiddance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.

Have Agreed as follows :

CHAPTER 1

Scope of the Convention

Article I

Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Convention shall apply are :

(a) In the case of India :

 (i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and (ii) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964);

(hereinafter referred to as "Indian tax").

(b) In the case of Zambia :

- (i) the income tax ;
- (ii) the mineral tax; and
- (iii) the personal levy

(hereinafter referred to as "Zambian tax").

2. Tł	ention shall also apply to any identi-
cal or 1	ally similar taxes which are imposed
by eithe	cting State after the date of signature
of the 1	Convention in addition to, or in place
of, the	erred to in paragraph 1 of this Arti-
cle.	

3. At 1 of each year, the competent authorities of tracting States shall notify each other of any 1 the changes which have been made in their relation laws which are the subject of this Contain and furnish copies of relevant enactments and regulations.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Zambia, as the context requires;
- (b) the term "tax" means Indian tax or Zambian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (c) the term "person" includes individuals, companies and all other entities which are treated as taxable units under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- (d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company under the taxation laws in force in the respective Contracitng State;
- (e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- (f) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue); and in the case of Zambia, the Commissioner of Taxes or his authorised representative;

- (g) the term "nationals" means :
- (i) in respect of India :

all individuals possessing the nationality of India and all legal persons, partnerships and associations deriving their status from the law in force in India;

 (ii) in respect of Zambia : all individuals possessing the nationality of Zambia and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Zambia.

2. In the application of the provisions of this Convention by one of the Contracting States, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article-4

FISCAL DOMICILE

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other cirterion of similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Convention shall be determined in accordance with the following rules—

- (a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interest");
- (b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Whereby reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both of Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on,

2. The term "permanent establishment" shall include :----

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ;
- (f) a mine, a quarry, an oil field or other place of extraction of natural resources;
- (g) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry plantation or related activities are carried on ;
- (h) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than 9 months;
- (i) a warehouse or other facilities for the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise from which orders are filled.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to tre enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise ;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research, being activities solely of a preparatory or auxillary character, in the trade or business of the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom the provisions of pargraph 6 apply—shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the urst-mentioned State if :

- (i) he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (ii) he has no such authority but the habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to that enterprise from which he regularly fulfils orders on behalf of the enterprise.

5. An insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not an agent of independent status within the meaning of paragraph 6.

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he would not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company, which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not, of itself, constitute for either company a permanent establishment of the other.

8. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on a business which consists of providing the services of public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes in that other Contracting State unless the enterprise is directly or indirectly supported wholly or substantially, from the public funds of the Government of the first-mentioned Contracting State in connection with the provision of such services.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

manage in the state of the second second 2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed projectly apply, usufluct of immovable property and lights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oilwells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taable only in that Contracting State unless the enterprise carried on business in the other conthrough a permanent establishment tracting State situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. If an enterprise of a Contracting State, which has a permanent establishment in the other Contracting State, sells goods or merchandise of the same or similar kind as those sold by the permanent establishinent or renders services of the same or similar kind as those rendered by the permanent establishment, the profits of such activities may be attributed to the permanent establishment unless the enterprise proves that such sales or services are not attributable to the activity of the permanent establishment.

3. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the ascertainment thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apporitionment of the total profits of the enterprise

to its various parts, nothing in paragraph 3 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.

5. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, but this does not include any expenses which, under the law of that State, would not be allowed to be deducted by an enterprise of that State.

6. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the purpose of export to the enterprise of which it is the permanent establishment.

7. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed t_0 the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

8. The term "business profits" means income derived by an enterprise from the carrying on of trade or business; but does not include income in the form of rents, royalties (including rents or royalties in respect of cinematographic films or video tapes for television), fees for technical services, management charges, or remuneration or fees for providing services of technical or other personnel, interest, dividends, capital gains, remuneration for labour or personal (including professional) services or income from the operation of ships or aircraft.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits dervied by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the 'enterprise is situated.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to a share of profits from the operation of alteraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pooled service, in a joint air transport operation or in an international operating agency.

3. For the purpose of paragraph 1, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State;

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations, which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed:

- (a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company which owns at least 25 per cent of the shares of the company paying the dividends during the period of six months immediately preceding the date of payment of the dividends;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the devidends in all other cases.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares or any other item which is deemed to be a dividend or distribution of a company by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to _____

perfons who are not residents of that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly or profits or income arising in that other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State or local Authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State, or any agency wholly owned by that Government or local authority shall be exempt from tax of the first mentioned Contracting State. The competent authorities of the Contracting States may determine by mutual agreement any other governmental institution to which this paragraph shall apply.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and other debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the paver and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which world have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship. the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arises a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise i_{d} a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne of such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated. [PART II-SEC. 3(i)]

2. Gains from the alienation of movable property forming part of business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships and aircraft which it operates in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in that State.

5. The term "alienation" means the sale, exchange, transfer, or relinquishment of the property or the extinguishment of any rights therein or the compulsory acquisition thereof under any law in force in the respective Contracting States.

Article 14

MANAGEMENT AND CONSULTANCY FEES

1. Management and consultancy fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such fees may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of the State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the fees.

3. The term "management and consultancy fees" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a managerial technical or consultancy nature.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the management and consultancy fees, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the fees arise a permanent establishment with which the services giving rise to the fees are effectively connected. In such a case, the provisions of Article 7 shall apply.

5. Management and consultancy fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the fees, whether he is a resident of that State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the fees was incurred and such fees are borne by such permanent establishment, then such fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated. 6. Where, owing to a special relationship between payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the management and consultancy fees paid, having regard to the services for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Article 16, income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless :

- (a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purposes of performing his activities, in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to that fixed base; or
- (b) he is present in the other Contracting State for the purpose of performing his activities for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in relevant "previous year" in the case of India and in the relevant "charge year" in the case of Zambia and in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to the activities performed in that other State.
- (c) his remuneration for his services or activities in the other Contracting State derived from residents of that Contracting State exceeds K 10,000 or its equivalent in Indian currency in the taxable year (not including travel expenses directly related to the services or activities in the other Contracting State), notwithstanding that his stay in that State is for a period or periods amounting to less than 183 days during the taxable year.

2. The term "professional services" includes independant scientific literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such representation as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

--- ---

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State if :

(a) the recipient is present in the other Contracting State for a period not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned; and

_ .<u>~</u>_ ._^.

- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, remuneration in respect of employment excrcised aboard a ship or aircraft in international traffic may be taxed only in the Contracting State in which the **place** of effective management of the enterprise is situated.

Article 17

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 18

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 10, income derived by public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised :

Provided that such income shall not be taxed in the said Contracting State if the visit of the public entertainers or athletes to that State is supported, wholly or substantialy, from the public funds of the Government of the other Contracting State.

2. For the purposes of this Article, the term 'Government' includes a State Government, a political sub-division, or a local or statutory authority of either Contracting State-

Article 19

GOVERNMENTAL FUNCTIONS

1. Remuneration paid by or out of funds created by a Contracting State, a political sub-division or a local authority thereof, to a citizen of that State in respect of an employment shall be taxable only in that State.

2. Any pension paid by or out of funds created by a Contracting State a political sub-division, or a local authority thereof, to any individual may be taxed in that Contracting State.

¹391 GI/83---3

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purposes of profit.

4. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any State Government or local authority of either Contracting State and in particular the Reserve Bank of India and the Bank of Zambia.

Article 20

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension (other than a pension referred to in Article 19) or annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the firstmentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of services rendered in the past or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during the life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 21

RESEARCH PERSONNEL, STUDENTS AND BUSINESS APPRENTICES

1. (a) An individual who is a resident of one of the Contracting States at the time he becomes temporarily present in the other Contracting State for the primary purpose of --

- (i) studying at a University or other recognised educational institution in that other Contracting State, or
- (ii) securing training required to qualify him to practise a profession or professional speciality, or
- (iii) studying or doing research as a recipient of a grant allowance, or award from a . Governmental religious, charitable, scientific. literary, or educational organisation,

shall be exempt from tax by that other Contracting State with respect to amounts described in sub-paragraph (b) for a period not exceeding 5 taxable years from the date of hi_s arrival in that other Contracting State.

- (b) The amounts referred to in sub-paragraph (a) are :--
- (i) gifts abroad for the purpose of his maintenance, educational, study, research, or training;
- (ii) the grant, allowance, or award; and

(iii) income from personal services performed in that other Contracting State in an amount not in excess of 1,500 Zambian Kwacha or its equivalent Indian Rupees for any taxable year.

2. An individual who is a resident of one of the Contracting States and who is temporarily present in that other Contracting State as an employee of, or under contract with, a resident of the first-mentioned Contracting State, for the primary purpose of—

- (a) acquiring technical, professional, or business experience from a person other than that resident of the first-mentioned Contracting State or other than a person, related to such resident, or
- (b) studying at a University or other recognised educational institution in that other Contracting State, shall be except from tax in that other Contracting State for a period not exceeding 1 year with respect to his income from personal services in an aggregate amount not in excess of 2,500 Zambian Kwacha or its equivalent Indian Rupees.

3. An individual who is a resident of one of the Contracting States and who is temporarily present in that other Contracting State for a period not exceeding 1 year, as a particant in a programme sponsored by the Government of that other Contracting State, for the primary purpose of training, research, or study, shall be exempt from tax in that other Contracting State with respect to his income from personal services in respect of such training, research, or study performed in that other Contracting State in an aggregate amount not in excess of 3,560 Zambian Kwacha or its equivalent Indian Rupees.

Article 22

PROFESSORS AND TEACHERS

1. A professor or teacher who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State for a period not exceeding two years for the purpose of carrying out advanced study or reseach or for teaching at a university, college, school or other educational institution shall be exempt from tax in the first-mentioned State in respect of any remuneration which he receives for such work, provided that such remuneration is derived by him from outside that State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "charge year", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "charge year".

Article 23

INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State except that if such income arises in the other Contracting State, it may also be taxed in that other State.

CHAPTER IV

METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 24

AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.

- 2. (a) The amount of Zambian tax payable, under the laws of Zambia and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within Zambia which has been subjected to tax both in India and Zambia, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income provided that such credit shall not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within Zambia; so, however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income-tax payable by the company in India, and as to the balance, if any against surtax payable by it in India;
 - (b) For the purpose of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, the term "Zambian tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Zambian tax for any year but for any provisions granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purpose of economic development.
- 3. (a) The amount of Indian tax payable, under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of Zambia in respect of income from sources within India which has been subjected to tax both in India and Zambia shall be allowed as a credit against Zambian tax payable in respect of such income provided that such credit shall not exceed the Zambian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within India ;

(b) For the purposes of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount by which Indian tax has been reduced by the special incentive measures set forth in the following sections of the Income-tax Act, 1961.

- (i) Section 10(4)—relating to exemption from tax on interest payable to a non-resident on any security notified by the Government of India;
- (ii) Section 10(4A)—relating to exemption from tax on interest payable to a nonresident on moneys in a Non-resident (External) Account;
- (iii) Section 10(15)(iv)—relating to exemption from tax of (a) a non-resident in respect of moneys lent by him to the Government or local authority in India ; (b) an approved foreign financial institution in respect of interest on moneys lent by it to an industrial undertaking in India under a loan agreement; and (c) a non-resident in respect of interest on moneys lent or credit facilities allowed by him to an industrial undertaking in India for the purchase outside India of raw materials or capital plant and machinery or for industrial development in India;
- (iv) Section 32A—relating to investment allowance in respect of ships, aircrafts, machinery or plant;
- (v) Section 33A—relating to development allowance for planting or replanting of tea bushes;
- (vi) Section 35C—relating to the agricultural development allowance;
- (vii) Section 54E—relating to capital gains;
- (viji) Section 80CC---relating to deduction in respect of investment in certain new shares;
- (ix) Section 80HH—relating to deduction in respect of profits and gains from newly established industrial undertakings or hotel business in backward areas;
- (x) Section 80J—relating to deduction in respect of profits and gains from eligible industrial undertakings or ships or hotels :
- (xi) Section 80K—relating to deduction in respect of dividends attributable to profits and gains from eligible industrial undertakings or ships or hotels;
- (xii) any other provisions which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the contracting States agree to be for the purposes of economic development.

4. Income which, in accordance with the provisions of this Convention is not to be subjected to tax in a

Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracing State.

-, ., .=*========

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterptise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by faw available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is ther or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance

with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the inter-pretation or application of the Convention. They may also consult each other for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for the prevention of evasion of taxes which are the subject of this Convention. Any information or document so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or other authorities) concerned with the assessment, collection, onforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Convention, or to persons with respect to whom the information or document relates.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial

commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Convention shall affect the tiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall come into force on the date when the last of all such things shall have been done in India and Zambia as are necessary to give the Convention the force of law in India and Zambia respectively.

2. The Contracting States shall notify each other of the completion of the requirements mentioned in paragraph 1 of this Article. The exchange of diplomatic notes certifying that this requirement has been completed shall take place at Lusaka.

3. Upon the exchange of such diplomatic notes, this Convention shall have effect :

- (a) In India, in respect of income assessable for any assessment year commencing on or after the 1st day of April, 1979.
- (b) In Zambia, in respect of income arising for any charge year commencing on or after the 1st day of April, 1979.

Article 30

TERMINATION

This Convention shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination, and in such event this Convention shall cease to be effective :

(a) in Zambia, in respect of income assessable for the assessment year commencing on the 1st day of April in the second calendar year next following the calendar year in which the notice is given, and subsequent years;

- -- -- -- --

ender des contententes o la

- - -

Sd]-

(b) in India, in respect of income arising for the year of income next following the calendar year in which the notice of termination is given, and subsequent years.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present convention.

Done in duplicate at LUSAKA this FIFTH day of JUNP, one thousand ainc hundred and Fighty one in English language.

HON. S. K. MUSSOKOTWANE, M.P.,

Minister of Finance, Government of the Republic of Zambia. [F. No. 11|11|65-FTD] C. K. TIKKU, Jt. Seey.

Sd|-

KEDAR PANDEY, Minister of Railways, Government of the Republic of India.
